



राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक एफ.4(3)वित्त/बीमा/2020

जयपुर, दिनांक 29 JAN 2021

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के अन्तर्गत विभागीय समिति की अनुशंघा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में अतिरिक्त निदेशक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त श्री धनलाल शैरावत (अजा) का चयन वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की वर्ष 2020-21 की रिक्ति के विरुद्ध योग्यता सह-वरिष्ठता के आधार पर किये जाने के फलरूप उनकी पदोन्नति वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल 23 में स्थानापन्न रूप से की जाती है। उक्त की रिक्ति दिनांक 01.02.2021 है।

पदोन्नत अधिकारी की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्य ग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नति उपरान्त श्री धनलाल शैरावत को वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, मुख्यालय जयपुर के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से  
29/01/2021  
(वेद प्रकाश गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके मेल दिनांक 28.07.2020 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
29/01/2021